भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके बावजूद, यह जाति व्यवस्था के कारण विवादों के एक समूह के अधीन है। जाति व्यवस्था जो आज तक प्रचलित है, भारतीय संस्कृति का एक मौलिक हिस्सा रहा है। इस प्रणाली ने "उच्च जातियों" द्वारा "निचली जातियों" को वश में किया। इस प्रकार, निचली जातियों की स्थिति में सुधार के लिए, भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लाभकारी रहा है या क्या इससे मतभेदों में और वृद्धि हुई है? या क्या आय / आर्थिक-आधारित आरक्षण योजना एक बेहतर विकल्प है?

पहला लिखित पाठ जो जाति आधारित प्रणाली या "चार सामाजिक वर्गों के धर्म" की संपूर्णता में बात करता है, वह है मनुस्मृति। यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की नौकरी उनके जन्म से तय होती थी। आधुनिक भारत में, कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं जब 1933 में, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री, रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की स्थापना की। मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियों को अलग प्रतिनिधित्व। इस पुरस्कार का महात्मा गांधी ने कड़ा विरोध किया, जिन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए आमरण अनशन किया। हालाँकि, इसे बी.आर अम्बेडकर की

पसंद का अपार समर्थन मिला। कई वार्ताओं के बाद, गांधी ने अपना उपवास बंद कर दिया और पूना पैक्ट इन वार्ताओं का परिणाम था।

हालाँकि, यह पहला उदाहरण नहीं था जहाँ अल्पसंख्यकों द्वारा "विशेष दर्जे" की माँग की गई थी। घटनाएं 1891 की शुरुआत की हैं जब त्रावणकोर की रियासत में सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण की मांग थी। पहला आधिकारिक उदाहरण 1902 में कोल्हापुर में था, पिछड़े वर्गों / समुदायों (बीसी) के लिए सेवाओं में 50% आरक्षण प्रदान किया गया था।

स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम 1979 में लिया गया था जब मंडल आयोग का गठन किया गया था। इसका नेतृत्व भारतीय सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने किया था कि जातिगत भेदभाव के निवारण के लिए लोगों के लिए सीट आरक्षण और कोटा के प्रश्न पर विचार किया जाए और "पिछड़ेपन" को निर्धारित करने के लिए ग्यारह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों का उपयोग किया जाए। 1980 में, आयोग की रिपोर्ट में भारतीय कानून के तहत पुष्टिमार्गीय कार्रवाई की प्रथा की पुष्टि की गई, जिसके तहत निचली जातियों के सदस्यों (अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में जाना जाता है) को सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में स्लॉट के

एक निश्चित हिस्से तक विशेष पहुंच दी गई, और सिफारिश इन कोटा में बदलाव करते हुए, उन्हें 27% से 49.5% तक बढ़ाया।
लेकिन आज इन आरक्षणों को वास्तव में लागू किया जा रहा है जैसा कि हमारे नीति निर्माताओं द्वारा लागू किया गया था? इसका जवाब प्राइमा फेशियल 'नो' है, क्योंकि लाभ "क्रीमी लेयर" द्वारा चुराए जा रहे हैं।

आरक्षण के खिलाफ आरक्षण
93 वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, सरकार को "किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति" के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है, जिसमें सहायता प्राप्त या गैर-निजी शैक्षणिक संस्थानों में उनका प्रवेश भी शामिल है। और यह प्रस्ताव किया गया था कि इस आरक्षण नीति को धीरे-धीरे निजी संस्थानों और कंपनियों में लागू किया जाना चाहिए। इस कदम से गैर-आरक्षित श्रेणी के छात्रों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें सामान्य (गैर-आरक्षित) श्रेणी के लिए सीटें मौजूदा 77.5% से घटकर 50.5% से कम हो गईं (क्योंकि ओबीसी के सदस्यों को भी सामान्य वर्ग में चुनाव लड़ने की अनुमति है) ।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 (4) सरकार को पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसी तरह, अनुच्छेद 16 राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता के लिए प्रदान करता है।

"अनुच्छेद 16 का खंड 2 यह बताता है कि धर्म, जाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी भी नागरिक को राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाता है।"

हालांकि, एक ही लेख के खंड 4 में सरकार पर एक निश्चित प्रकार की शक्ति प्रदान करके अपवाद के लिए प्रावधान किया गया है:

"यह राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों की नियुक्तियों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है जो राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।"

एक मामले में मैसूर के बालाजी v / s राज्य [1] का मानना था कि किसी व्यक्ति की जाति यह पता लगाने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती है कि कोई विशेष जाति पिछड़ी है या नहीं। निर्धनता,

व्यवसाय, निवास स्थान जैसे निर्धारक सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक बार एक जाति को पिछड़ा माना जाता है तो वह अन्य सभी समयों के लिए पिछड़ी रहेगी। सरकार को परीक्षण की समीक्षा करनी चाहिए और यदि कोई वर्ग प्रगति की स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ आरक्षण आवश्यक नहीं है तो उस वर्ग को पिछड़े वर्गों की सूची से हटा देना चाहिए। '

इस प्रकार, आरक्षण के दर्शन का अंतर्निहित आधार "पिछड़े वर्गों" के सभी सदस्य वंचित हैं, जबकि "अगड़ी जातियों" के सभी सदस्यों को अपने स्वयं के भाप के तहत प्रवेश पाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है, मेरी राय में नहीं मान्य धारणा; न तो यह उचित है। जब हमारे समाज में अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है, तो आर्थिक विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

यह कैसी विडंबना है कि भले ही हमारा संविधान आरक्षण के अनुकूल है, कहीं न कहीं संविधान के नंगे पठन में that पिछड़े वर्गों ’का शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पिछड़ेपन को निर्धारित करता है या पिछड़ेपन का गठन अभी भी अनुत्तरित है और केवल कुछ न्यायिक घोषणाओं की मदद से उन्हें कुछ अर्थ दिया गया है।

तो सवाल यह उठता है कि अपरिभाषित किसी चीज के लिए आरक्षण कैसे हो सकता है?
सभी ईमानदारी में, यह सराहना की जानी चाहिए कि हमारे देश के कम-विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लिए एक स्तर का खेल मैदान बनाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जाती है। मुद्दा यह है कि पिछले 30 वर्षों में लगभग हर सरकार - चाहे वह "धर्मनिरपेक्ष" क्यों न हो - इस सामाजिक-आर्थिक मुद्दे को गंदे वोट बैंक की राजनीति, सांप्रदायिकता और गौरव का विषय बनाने की कोशिश कर रही है। ।
परिणाम: तमिलनाडु जैसे या उत्तर-पूर्व में अलग-अलग राज्यों में, जहां पिछड़ी आबादी की भविष्यवाणी होती है, 80% से अधिक सरकारी नौकरियों को कोटा में अलग कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कि 50% अधिकतम होना चाहिए। [2]]
इसके अलावा, आरक्षण नीति केवल उच्च संस्थानों पर लागू होती है। इस प्रकार यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं करता है। लाखों बच्चों को अभी भी बुनियादी स्कूली शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखा जाएगा- और यह प्राथमिक शिक्षा की कमी है जो अक्सर भविष्य की शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच से इनकार करता है।

कपिल सिब्बल ने वर्तमान सरकार में अपने उत्तराधिकारी की तुलना में तब भी अधिक गिरावट की, जब मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में उन्होंने निजी स्कूलों में 25% आरक्षण (मुफ्त सीटें) आयोजित कीं। ऐसे स्कूलों के शिक्षक अपने बेहतरीन प्रयासों के बावजूद ऐसे बच्चों को दूसरे उज्ज्वल बच्चों के बराबर लाना असंभव समझते हैं।

साथ ही, कक्षा 10 तक के लिए पदोन्नत किए जाने की एक कसौटी के रूप में अंतिम परीक्षा को समाप्त करने के लिए छात्रों में शालीनता की भावना पैदा की गई है, जिसके बाद उन्हें निर्बाध और सकल अंडरपेड मूल्यांकनकर्ताओं की दया पर छोड़ दिया जाता है।

यह सुझाव देने के लिए नहीं है कि समाज के गरीब तबके या पिछड़े वर्गों के बच्चों की मध्यस्थता या अशिक्षा की निंदा की जानी चाहिए। इसके बजाय, उत्तर सरकारी संस्थानों में प्रदान की गई शिक्षा को उन्नत करने में निहित है। यह शिक्षकों की नियुक्ति में श्रमसाध्य प्रयासों और बेहतर वेतनमान के लिए कहा जाएगा जो उनके निजी समकक्षों के बराबर है। इसके अलावा शिक्षा के अमेरिकी मॉडल का विश्लेषण करना एक बुरा विचार नहीं होगा, जहां बालवाड़ी से लेकर ग्रेड 12 तक के 87% बच्चे पब्लिक स्कूल [3] में पढ़ते हैं। अफसोस की बात

है कि हमारे देश में, निजी स्कूलों के विचार ने किसी तरह अभिजात्य वर्ग का अधिग्रहण किया है।
एक उदाहरण को उद्धृत करने के लिए, IIT रुड़की के 73 छात्रों को खराब प्रदर्शन के साथ निष्कासित करने का निर्णय कई बच्चों की स्थिति के लिए एक आंख खोलने वाला था जो IIT परिसरों में लगभग असंभव प्रवेश करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस [4] की एक रिपोर्ट ने बताया कि निष्कासित छात्रों में से 90% छात्र SC, ST और OBC के थे। एक और उदाहरण जो कहा जा सकता है वह पिछले साल आईआईटी मुंबई में एक दलित छात्र की "कथित आत्महत्या" का है, जो हमें आईआईटी जैसे संस्थानों में पिछड़ी जाति के छात्रों की पीड़ा की झलक देता है। उनका प्रदर्शन खराब रहा था, उनके पास अस्पष्ट कागजात नहीं थे और सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा ताना मारने के कारण और एक संकाय सदस्य भी हैरान थे। इस मामले की रिपोर्ट करते हुए, डीएनए ने कहा कि आरक्षित वर्ग के तहत लगभग 56% छात्रों ने भेदभाव महसूस किया। इसके अलावा, उनमें से 60% भी सामान्य श्रेणी के छात्रों की तुलना में शिक्षाविदों द्वारा अधिक दबाव महसूस करते थे। चिंता बढ़ रही है, सरकार एक क्षेत्र में एक स्तर पर खेल सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह असफल है और बुरी तरह से यह सुनिश्चित करने

के लिए कि वे इससे लाभान्वित हों। उनके लिए लगभग 50% सीटें आरक्षित हैं, लेकिन अगर उनमें से अधिकांश दरारें से गिरती हैं- जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से पता चलता है- यह बिना किसी उद्देश्य के काम करता है।

इसके अलावा, अब पिछड़े वर्गों / एससी / एसटी की सूची में शामिल किया जा रहा है, जिसे अब "स्थिति प्रतीक" के रूप में देखा जा रहा है, हालिया जाट आंदोलन सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मांग- हमारे देश के उत्तरी भाग में एक "प्रमुख जाति" माने जाने वाले समूह द्वारा- एक पिछड़ी जाति के रूप में मानी जाने वाली, तीन राज्यों में कई लोगों के जीवन को खतरे में डालती है और लोगों की आजीविका को प्रभावित करती है। तो सवाल यह है कि कब तक "पिछड़े" वर्ग के रूप में "विशेषाधिकारों" की मांग को बहुसंख्यक आबादी की कीमत पर बनाए रखा जा सकता है।

अन्य वैकल्पिक

जाति आधारित आरक्षण नीति सामाजिक पिछड़ेपन को एक तरल और विकसित श्रेणी के रूप में पहचानने में विफल है। लिंग, संस्कृति, क्रय शक्ति और इतने पर भी क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है, और इनमें से कोई भी, या इनमें से एक संयोजन, अभाव और सामाजिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। बढ़ते वैश्वीकरण और शहरीकरण के साथ, जाति

की वफादारी कमजोर हो रही है और इसलिए, सामाजिक पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए नए मापदंडों को पहचानने की आवश्यकता है। आरक्षण में स्पष्ट रूप से आर्थिक मापदंड शामिल होने चाहिए। एक अमीर व्यक्ति (जाति की परवाह किए बिना) अपने बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकता है और खर्च कर सकता है और उसे आरक्षण नीति द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में आर्थिक रूप से पिछड़े और निम्न जाति के बीच संबंध उतना मजबूत नहीं हो सकता है जितना पहले था। यह गरीब हैं जिन्हें अपनी जाति की परवाह किए बिना इस तरह के संरक्षण की आवश्यकता है। बहस के बजाय "क्रीमी लेयर" का गठन क्या है और इसे कैसे परिभाषित किया जाना है, हर किसी को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। समाज के किसी भी वर्ग को चम्मच से नहीं खिलाना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें पर्याप्त संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए, और दिन के अंत में योग्यता प्रबल होनी चाहिए।

एक ओर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। फिर मूल अधिकार अनुच्छेद 15 में 15(4) और 15(5) एवं अनुच्छेद 16 में 16(4)(क)तथा 16(4) (ख)

संशोधन करके जो जोड़ा गया है क्या वह मूल अधिकार नहीं है? क्या उसे नीति निर्देशक तत्वों में (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स) में नहीं होना चाहिए था ?

FEM

एनपीएस का जो भविष्य निधि का पैसा है वह सरकार के माध्यम से NSDL में जाता है। इसका सारांश यह है कि कर्मचारी की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार ने बाजार के हवाले कर दिया उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ।जिससे अडानी ने हजारों करोड़ रूपया उधार ले रखा है। और अडानी ने वह पैसा आस्ट्रेलिया के खदानों में लगाया । किन्हीं कारणों से आस्ट्रेलिया की सरकार

ने खदानों के पट्टे निरस्त कर दिए। अडानी का वह सारा पैसा डूब गया और उसका दुष्परिणाम हमारे देश के कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ रहा है। विशेषकर देश के युवा कर्मचारी साथियों से मेरा अनुरोध है जो नई पेंशन के हकदार हैं वे लोग इस सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करें । हिंदुत्व की विचारधारा से जो लोग इस पार्टी के छद्म हिंदुत्व के धोखे से पार्टी से जुड़े हैं उन्हें सरकार से पूछने का अधिकार है कि उनके नुमाइंदों को 2-2, 3-3 पेंशन एवं हमारी पेंशन समाप्त क्यों?

इसलिए मित्रों यदि पुरानी पेंशन बहाली चाहते हो तो और इमानदारी से इसकी लड़ाई में प्रतिभा करना चाहते हो तो जो सरकार यह पेंशन लाई है उसका विरोध करो। विरोध ऐसा नहीं कि सड़क पर हम सरकार के खिलाफ जुलूस निकाले और बूथ पर जाकर उसी को वोट दें । विरोध हर तरह से होना चाहिए एवं अपने हितों की सुरक्षा की जो गारंटी ले ऐसे जनप्रतिनिधियों को विधानसभा एवं संसद में भेजें। ऐसे प्रत्याशी एवं पार्टी न मिलने की दशा में नोटा को वोट करें।

मित्रों निर्णायक जंग के लिए तैयार हो जाओ और सरकार से मांग करो कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए यदि सरकार हमें पुरानी पेंशन देने में असमर्थ है तो सांसद, विधायकों की पेंशन भी समाप्त कर दी जाए।

2010 में, सिन्हो आयोग ने जनरल वर्ग पर राष्ट्रव्यापी सर्वे किया था
* यह पाया गया कि बहुत से राज्यों में,जनरल वर्ग में Below Poverty Line(गरीबी रेखा से नीचे) की प्रतिशतता राज्य की ओवरऑल BPL जनसंख्या से ज्यादा है

* इसने कई कल्याणकारी उपाय सुझाए
* दस साल के बाद भी, रिपोर्ट को UPA Govt या उत्तरोत्तर NDA Govt द्वारा लागू नहीं किया गया

उत्तराखंड प्रदेश में, माननीय हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ वर्ष 2010 से अब तक जारी तमाम सफल विधिक संघर्षों के विजेता, राष्ट्र व समाज हित में सतत संघर्षरत , पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ बहुमुखी संघर्षों आंदोलनों के विनम्र सौम्य सरल निश्छल प्रकृति के पुरोधा व

सूत्रधार, निष्काम राष्ट्र व समाजहित के अपराजेय योद्धा, अखिल भारतीय समानता मंच /AIEF के राष्ट्रीय महासचिव , देवभूमि के सपूत व सबके प्रेरणास्रोत अप्रतिम सेनानी आदरणीय अग्रजश्री इं विनोद प्रकाश नौटियाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ।

दिखावे का आयोग !
सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की स्थापना मध्यप्रदेश में जनवरी 2008 में हुई जिसमें श्री बाबूलाल जैन एवं श्री बालेंदु शुक्ला जैसे भाजपा के प्रमुख राजनीतिज्ञ अध्यक्ष रह चुके हैं । कहने

को तो सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले परिवारों करने के लिए 11 योजनाएं भी बनाई गई, किंतु बजट प्रावधान नहीं होने से, यह आयोग केवल प्रतिवेदनों तक ही सीमित रहा ।दुर्भाग्य कि इस आयोग की किसी भी अनुशंसा पर कोई अमल नहीं हो सका। इस आयोग के प्रतिवेदनों को, स्वयं आयोग को बंद करते हुए, उन्हें डिब्बा बंद कर दिया गया। सामान्य वर्ग के निर्धनों के लिए आयोग के खुलने पर भी आनंद नहीं और बंद होने पर भी मलाल नहीं। ऐसा क्यों ?

ऐसी दुर्गति तो अन्य किसी भी आयोग , यानि sc,st अथवा पिछड़ा वर्ग आयोग की नहीं हुई ?

देश को बेवकूफ बनाने वाली बात, पैसा रखो तो सरकार को टैक्स भरो, पैसा निकालो तो सरकार को कर दो, सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता देश के नागरिकों के प्रति? इस बीजेपी सरकार ने देश की जनता को मूर्ख बना रखा है एवं वैसे नासमझ हम लोग हैं जो मूर्ख बनते जा रहे हैं ।ओल्ड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को फायदा था कम से कम सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का अनुबंध बना रहता था।

परंतु अटल बिहारी वाजपेई जी ने जिसको लोग देश के आदर्श मानते हैं ने उसको समाप्त करते हुए एनपीएस लागू करके सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों का भविष्य ही समाप्त कर दिया। और कार्पोरेट का खजाना भरने का रास्ता तैयार किया।टी-1 में पैसा जमा करो पूरी सेवा काल में पैसा ब्लॉक , कारपोरेट मालो माल। फिर लुटाने के लिए टी-2 खोलो , सरकार का खजाना भरो।खुद नंगे हाल फटे हाल रहो😴😂😁😁 यह सांसद लोग बड़े ही बेशर्म है सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी और अपनी तन तीन पेंशन जारी कर

दी।इसलिए मित्रों अब समय आ गया है संघर्ष करने का, आंदोलन करने का। ये सांसद जहां भी मिलते हैं इनसे कहो कि वे अपनी पेंशन छोड़ें या कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन जारी करें। नहीं तो इनके कपड़े उतार कर इन्हें चौराहा पर नंगा करो।

कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में प्रथक प्रथक निर्णय हुए हैं। जैसे यदि एज रिलैक्सेशन का लाभ लिया है तब वह ओपन कैटेगरी में मेरिट में नहीं आ सकता। इसी प्रकार फीस संबंधी ईशु भी है। परंतु इस संबंध में एक-एक बिंदु पर अलग-अलग निर्णय हैं। सभी बिंदुओं पर कोई एकीकृत निर्णय नहीं है इसीलिए केंद्र सरकार के विभाग एवं राज्य सरकार सभी इस परंपरा से चलते हैं कि पहले ओपन की मेरिट जारी कर देते हैं फिर कैटेगरी वार सूची निकालते हैं। जबकि होना चाहिए कि एससी एसटी ओबीसी और ओपन कैटेगरी में प्रथक प्रथक नॉर्म्स है, तब आवेदन भी प्रथक प्रथक लेना चाहिए। जो जिस कैटेगरी में अप्लाई करें उसी केटेगरी में उन्हीं पदों पर उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ओवरलैपिंग नहीं होने से आपस में कटुता नहीं होगी तथा कोर्ट में भी विवादित प्रकरणों की संख्या एकदम कम हो जाएगी। यह सबसे महत्वपूर्ण है और इसे आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है।

[11:40 PM, 1/13/2021] +91 90982 88583: बिना संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखे जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की चर्चा बेमानी है । निम्नलिखित भारतीय संविधान में संशोधन के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं:-

1-----

वर्तमान प्रावधान

संविधान का अनुच्छेद 15 (4)

"इस अनुच्छेद के या अनुच्छेद 19 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

"Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and economically backward classes of citizens or for the schedule caste and Scheduled Tribes."

2----- संदर्भ

1 संविधान का (पहला संशोधन) अधिनियम 1951 की धारा दो द्वारा जोड़ा गया।

3---प्रस्तावित संशोधन

(संविधान का अनुच्छेद 15 (4)

इस अनुच्छेद के या अनुच्छेद 19 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

15(4) अनुच्छेद को विलोपित किया जाना प्रस्तावित।

4----कारण / तर्क

संविधान की धारा 15 (1) तथा (2) तथा 3 सम्यक् हैं, किंतु 1951 में संविधान का पहला संशोधन धारा 2 में जोड़ा गया। जिसके अनुसार इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 (संविधान की धारा 29(2)के अनुसार "राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म मूल वंश जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा ")जबकि उक्त संशोधन के अनुसार जाति के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विशेष उपबंध किए गए हैं । राज्य को ऐसे असीमित अधिकार दिए गए हैं जिससे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का

राज्यों को विशेषाधिकार दिया है, और वह भी जातिगत आधार पर । यह उपबंध देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध ही नहीं अपितु मूल अधिकारों के विरुद्ध भी है।

(2)

अनुच्छेद 15(5)

1----वर्तमान प्रावधान

"इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवृत नहीं करेगी जहां तक ऐसे उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थानों में जिसके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है।"

15(5)

2----संदर्भ

1. संविधान का (93 वा संशोधन) 2005 दिनांक 21-1- 2006 से अंतःस्थापित।

3----प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप

15 (5)

"इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवृत नहीं करेगी जहां तक ऐसे उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थानों में जिसके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है।

3----- अनुच्छेद 16

1---- वर्तमान प्रावधान

अनुच्छेद 16 (4)

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

"Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizen which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the service under the state"

2---- संदर्भ

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 की धारा 29 एवं अनुसूची द्वारा दिनांक 1-11- 1956 से कतिपय शब्दों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित

3---- प्रस्तावित संशोधन

इस अनुच्छेद को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

4----कारण एवं तर्क

मूल अधिकार के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में के विषय में "अवसर की समानता "का प्रावधान किया गया है जिसके मुख्य अनुच्छेद क्रमशः 16(1),16(2) तथा 16 (3) विधि अनुसार हैं और सम्यक् हैं ।

किंतु अनुच्छेद 16(4) , धारा 16 की मूल भावना को खंडित तथा तहस-नहस करती है ।

केंद्र और राज्य सरकारों ने "वर्ग " के स्थान पर जातिवादी आरक्षण कर इस अनुच्छेद का दुरुपयोग ही किया है ।अतः इसे विलोपित किया जाना ही उचित होगा।

धारा 16 (4)(क)

1---- वर्तमान प्रावधान

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में , जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में (किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारी नामिक वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामलों में) आरक्षण के लिए उप बंद करने से विवादित नहीं करेगी"

16(4-A) "Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequently seniority to any class or classes of posts in the services under the state in favour of the scheduled castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the state, are not adequately represented in the services under the state"

2----संदर्भ

1. संविधान का 77 वां संशोधन अधिनियम 1995 की धारा 2 द्वारा दिनांक 17- 6-1995 से अंतः स्थापित ।

2. संविधान का 85 वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2 द्वारा 17 -6-1995 से, भूतलक्षी प्रभाव से , प्रतिस्थापित।

3----प्रस्तावित संशोधन

अनुच्छेद 16 (4)(क) को विलोपित किया जाना प्रस्तावित।

4----कारण और तर्क

संविधान के 77 वें संशोधन सन 1995 में जोड़ा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की , उनकी नियुक्तियों में तथा पदोन्नतियों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाए। व्यवहार में इस संशोधन की भावना के विपरीत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कभी भी यह समीक्षा नहीं की कि किस का प्रतिनिधित्व कम है या ज्यादा है । स्टीरियोफोनिक तरीके से नियुक्तियां करते गए और पदोन्नतियां करते गए , क्योंकि यही राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए लाभकारी था । किंतु इससे जातीय वैमनस्य बढ़ा और मेरिट / योग्यता को पराजित होना पड़ा। एससी एसटी को छोड़कर अन्य सभी जातियों में घोर निराशा , हताशा और असंतोष की स्थितियां बनीं । बेरोजगारी बढ़ी और सर्वथा योग्य व्यक्तियों को पदोन्नतियां सालों साल नहीं मिली। यह स्थिति कभी भी देश और समाज के हित में नहीं रही । अतः इस अनुच्छेद 16 (4) (क) को विलोपित किया जाना, मूल अधिकार समानता और योग्यता के सिद्धांत के अनुसार उचित होगा।

अनुच्छेद 16 (4)(ख)

1---- वर्तमान प्रावधान

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्ही ना भरी गई ऐसी रिक्तियों को , जो खंड 4 या खंड 4 (क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए उसे उपबंध के अनुसार इस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए प्रथक वर्ग के व्यक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की नियुक्तियों पर उस वर्ष के रिक्तियों के साथ, जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।"

16(4-B) "Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year."

2----संदर्भ

संविधान का 81 वां संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 2 द्वारा दिनांक 9 -6 - 2000 से अंतः स्थापित।

3---- प्रस्तावित संशोधन

इस अनुच्छेद को विलोपित किया जाना प्रस्तावित।

4---- कारण/तर्क

संविधान के 81 वें संशोधन 2000 के द्वारा 16(4 - ख) जोड़ा गया ,जिसमें "राज्य सरकार को एससी एवं एसटी के पक्ष में, बैकलॉग में, आरक्षण का प्रावधान, भूतलक्षी प्रभाव से 17-6-1995 की पूर्व वर्षों की ना भरी गई पदों की रिक्तियों से किया गया है तथा जिसमें अधिकतम 50% की आरक्षण की सीमा का शिथिलीकरण किया गया है । अर्थात ऐसी नियुक्ति और पदोन्नतियां 50% से अधिक भी हो सकती हैं।जो सरासर सवर्णों के अवसरों को योग्य एवं पात्र होते हुए भी ,छीनने जैसा है।

इस प्रावधान का दुष्परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की आरक्षित वर्ग की, एससी ,एसटी की संख्या, कुल संख्या की तुलना में 70% अथवा उससे अधिक हो गई है। चूंकि sc-st की नियुक्तियों और पदोन्नतियों के प्रकरणों में, आरक्षण के लिए , संविधान के अनुच्छेद 335 में, किसी परीक्षा में आवश्यक अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए सरकारों ने उपबंध किए हैं , अतः कार्यालयों में उनके 70% संख्या ने निश्चित ही प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है । अतः यह प्रावधान मूल अधिकार विधि के समक्ष समानता और योग्यता अनुसार नियोजन के विपरीत होने से तथा प्रशासन में गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से, विलोपन योग्य है।

सारांश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) 16 (4-क) तथा 16 (4-ख) का विलोपन किया जाए।